निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 4/2021
दायरा दिनांकः—25.01.2021
निर्णय दिनांकः— 24.12.24

उनवान

प्रहलाद सिंह आयु 65 वर्ष आत्मज देवीसिंह जाति राजपूत निवासी भूलोन तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

महेन्द्र सिंह आयु 60 वर्ष आतमज देवी सिंह जाति राजपूत निवासी भूलोन तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 24.12.24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री भगवान कृष्ण बलरिया — प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नं. 343 रकबा 2 बीधा 2 विस्वा वाके भूलोन तहसील छबडा जिला बारा राज में अवस्थित है। जिसका प्रार्थी शान्तिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग करने का वादी वैधानिक अधिकारी है। उक्त आराजी का इन्द्राज भू—अभिलेख वर्तमान जमाबन्दी में अंकित है। जो संलग्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्राथी की उक्त आराजी ग्राम भूलोन मे छबडा मोतीपुरा थर्मल पावर प्लांट रोड पर अवस्थित है। अप्रार्थी प्रार्थी का सगा भाई है। जिसके जिविकापार्जन के लिऐ प्रार्थी कुच्छ जगह दे रखी हैं। उक्त भूमि रोउ के सहारे होने के कारण अप्रार्थी के मन में बद्वानति आजाने के कारण वह प्रार्थी के खातेदारी की भूमि में जबरन पक्का मकान दुकान बनाकर अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिसका अप्रार्थी को कोई वैधानिक अधिकार नहीं हैं। इस अवैध उद्देश्य की पूर्ति में प्रार्थी ने दिनांक 16.1.2021 को नीव की खुदाई करने का असफल प्रयास किया। जिसे बड़ी मुश्किल से रोका। इसके बाद पुनः दिनांक 18.1.2021 को खुदयी करने लगा अप्रार्थी द्वारा जानबूझकर प्रार्थी की उक्त भूमि पर रोड के सहारे गलत तरीके से मकान व दुकान का निर्माण करने की एवं प्रार्थी व उसके परिजन के वहां आने पर हाथ—पैर काटने व जान से मारने व झूठे केस में फसाने की धमकी दी। प्रार्थी द्वारा थाना बापचा में भी रिपोट की किन्तु उनके द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। प्रार्थी की भूमि पर अप्रार्थी एवं उसके परिजन व प्रतिनिधियो को

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

–दुकान का पक्का निर्माण करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। इसलिए उक्त ... को रोकने हेतु अप्रार्थी को निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित ... अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की उक्त भूमि पर जबरन नीव की खुदाई चालू करने पर प्रार्थी व उसके पुत्र द्वारा मना करने पर नहीं माने अप्रार्थी द्वारा जानबूझकर प्रार्थी की उक्त भूमि पर रोड के सहारे गलत तरीके से मकान व दुकान का निर्माण करने की एवं प्रार्थी या उसके परिजन के वहां आने पर हाथ–पैर काटने व जान से मारने व झूठे केस में फसाने की धमकी देने पर यह आशंका उत्पन्न हो गई कि कभी भी अप्रार्थी उक्त भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर मकान व दुकान का निर्माण कर सकते है। इसलिए उक्त कृत्य को रोकने हेतु अप्रार्थी को निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना अत्यन्त आवश्यक व न्यायोचित है। यदि मुताबिक धमकी अप्रार्थी ने उक्त भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर मकान दुकान बना लिया तो प्रार्थी वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी आपूर्ति असम्भव होगी तथा बादी को अकारण कई मुकदमों में उलझना पडेगा। इसलिए वादी प्रतिवादीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की वैधानिक अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 102 पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम भूलोन तहसील छबडा में स्थित है जो वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी छबडा–मोतीपुरा थर्मल पावर प्लांट रोड पर स्थित है अप्रार्थी प्रार्थी का सगा भाई है अप्रार्थी प्रार्थी के खातेदारी की भूमि रोड के सहारें होने के कारण जबरन पक्का मकान व दुकान बनाकर अतिक्रमण करने पर आमादा है अप्रार्थी को कोई अधिकार नही है अप्रार्थी प्रार्थी की भूमि पर जबरन नींव खोद कर पक्का मकान व दुकान निर्माण करने पर आमादा है यदि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा कर मेन रोड के सहारें पक्का मकान व दुकान का निर्माण कर लिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 102 के खसरा नम्बर 343 रकबा 2.02 बीघा प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है एवं कब्जे काश्त में है अप्रार्थी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पक्ष में जवाब पेश नही किया और ना ही अपने पक्ष के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश किया। अप्रार्थी को प्रार्थी के खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा कर मकान निर्माण करने का कोई अधिकार नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को मूल वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थी को मूल वाद के निर्णय तक जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम भूलोन तहसील छबडा के खसरा नम्बर 343 रकबा 2.02 बीघा में प्रार्थी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें। प्रार्थी के खाते की भूमि पर अतिक्रमण कर मकान व दुकान का निर्माण नही करे। ऐसा कृत्या ना तो स्वंय करे ओर ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा